खण्ड–''ब''

परीक्षा की योजना :– यह परीक्षा **तीन चरणों में होगी** :–

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा
2. मुख्य परीक्षा व
3. साक्षात्कार।

1. **ऑनलाइन प्रारंभिक (अनुवीक्षण) परीक्षा (150 अंक)**

प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिये आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नही जोड़ा जाएगा।

एक– **ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक समय/ सत्र व केन्द्र** – प्रारंभिक परीक्षा आनलाइन, एम.पी.ऑनलाइन के द्वारा अपने पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से एक ही दिनांक 29.09.2018 (शनिवार) को **एक या दो सत्र मे** लिया जायेगा। **परीक्षा का सत्र एवं समय बाद में अधिसूचित किया जावेगा। । परीक्षा का सत्र एवं समय बाद में अधिसूचित किया जावेगा।** दो सत्र में परीक्षा होने पर दोनों सत्र (Shift) के प्रश्न पत्र के सेट अलग अलग होंगे। किसी भी सेट के संबंध में परीक्षार्थियों को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र विभिन्न जिला मुख्यालय के शैक्षणिक संस्थान होगें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र के जिले के चयन का विकल्प दिया जायेगा परंन्तु परीक्षा केन्द्र व जिले तथा परीक्षा शिफ्ट के बारे में अंतिम निर्णय एम.पी. ऑनलाईन का परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुये, होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के संभावित जिले **जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर आदि होंगे। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद, परीक्षार्थियों की होंगे। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद, परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुये, परीक्षा केन्द्र व परीक्षा जिले कम या अधिक एम.पी.** ऑनलाईन द्वारा किये जा सकेगें। परीक्षा सत्र, परीक्षा केन्द्र व परीक्षा जिले के आबंटन संबंधी एम.पी. ऑनलाईन का निर्णय अंतिम होगा।

तीन– <u>ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम</u> :–

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का **विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार** है :–

स. क्र.	विषय	कुल प्रश्न	अंक
1	भारत का संविधान	10	10
2	सिविल प्रक्रिया संहिता	15	15
3	संपत्ति अंतरण अधिनियम	7	7
4	भारतीय संविदा अधिनियम	8	8
5	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम	6	6
6	परिसीमा अधिनियम	4	4
7	म.प्र.स्थान नियंत्रण अधिनियम	5	5
8	म.प्र. भू–राजस्व संहिता	5	5
9	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	15	15
10	भारतीय दंड संहिता	15	15
11	दंड प्रक्रिया संहिता	15	15
12	नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट	5	5
13	सामान्य ज्ञान	20	20
14	कम्प्यूटर ज्ञान	10	10
15	अंग्रेजी ज्ञान	10	10
	कुल	150	150

चार – <u>ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा प्रक्रिया</u> :–

(1) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार **एक या दो** सत्र में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछ जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर/विकल्प होंगे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात किसी प्रश्न को हल न कर सकने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले प्रश्न पर वापस जा सकेगा इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय–सीमा 120 मिनट यानि 2 घण्टे की होगी। **इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा।**

2–मुख्य परीक्षा (400 अंक)

एक–(1) **मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र** – मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित प्रति के साथ, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाये गये अभ्यर्थियों से बुलाये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप म. प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जायेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल अभ्यर्थी को परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कराना होगा । उक्त समय के बाद मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी, भले ही उसने प्रवेश पत्र को संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो । उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा ।

दो – **मुख्य परीक्षा की तिथि : बाद में अधिसूचित की जावेगी जो लगातार दो दिन दो शिफ्ट में होगी ।**

तीन –**मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम –**

मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जावेगी, मुख्य परीक्षा में 04 (चार) प्रश्न पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल किये जायेंगे, मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी वह लगातार दो दिनों में दो–दो शिफ्टों में संपन्न कराई जावेगी। पहले दिन प्रथम शिफ्ट में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय शिफ्ट में द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी इसी प्रकार दूसरे दिन प्रथम शिफ्ट में तृतीय प्रश्न पत्र एवं द्वितीय शिफ्ट में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी का उपरोक्त चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है । यदि परीक्षार्थी किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे शेष प्रश्न पत्र/पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसकी उत्तर–पुस्तिका(ओं) का मूल्याँकन नहीं किया जायेगा एवं उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त समझा जावेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

(अ) **प्रथम प्रश्न पत्र – प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :–**

1. भारत का संविधान
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (अध्याय – I, II and VI to VIII)
6. परिसीमा अधिनियम, 1963 (भाग – II & III)

(ब) <u>द्वितीय प्रश्न पत्र</u> – **द्वितीय प्रश्न पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–**

1. लेख सामाजिक विषय पर – 30 अंक
2. लेख विधिक विषय पर – 20 अंक
3. संक्षिप्तिकरण लेखन – 20 अंक
4. हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद – 15 अंक
5. अँग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद – 15 अंक

(स) <u>तृतीय प्रश्न पत्र</u> – **तृतीय प्रश्न पत्र स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–**

1. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961
2. म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. भारतीय दंड संहिता, 1860
5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
6. नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट,1881 (धारा 138 से धारा 147 तक)

(द) <u>चतुर्थ प्रश्न पत्र</u> – **चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–**

1. विवाद्यकों का स्थिरीकरण – 10 अंक
2. आरोपों की विरचना – 10 अंक
3. निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II) – 40 अंक
4. निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC) – 40 अंक

<u>नोट</u>– 1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखना होगा।

2. संक्षिप्तिकरण लेखन, के लिए वादपत्र (Plaint), वादोत्तर (Written Statement) अथवा आरोप पत्र (Charge-sheet)/परिवाद पत्र (Complaint) की कॉपी दी जा सकेगी और अभ्यर्थी से उसके एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जा सकेगा ।

3. उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। किसी प्रकार की भिन्नता दोनों भाषाओं के प्रश्न में होने पर अंग्रेजी भाषा का प्रश्न मानक होगा।

4. सभी प्रश्न–पत्रों की उत्तर–पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है । यदि किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।

5. परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरूक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित नहीं करेंगे जिससे की परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके। चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन में परीक्षार्थी न्यायालय में किसी नाम का उल्लेख न कर "क, ख, ग" अथवा "अ, ब, स" का उल्लेख करेंगे। नाम का उल्लेख सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. साक्षात्कार

एक– साक्षात्कार – मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक के क्रम से साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित हैं ।

दो– अंतिम चयन का आधार – अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

नोट– साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।